तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/09/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षगण द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 28/10/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उप०। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्र० पत्र नाम दुरुस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 28/10/25

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई
जिला दौसा

प्रकरण संख्याः— 71/2025
प्रकरण दायर दिनांकः—25.06.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—28.10.2025

उनवान

1. बसनी देवी मीना पत्नी राम किशोर मीना निवासी भांवता तहसील बांदीकुई

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थिया का नाम बसनी देवी मीना पत्नि रामकिशोर मीना है जो कि मेरे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड , राशन कार्ड, पहचान पत्र व सभी दस्तावेजों में अंकित है। प्रार्थिया का जमाबंदी खाता संख्या 49 में सही नाम बसनी देवी मीना है, अतः जमाबंदी खाता संख्या नया 103 व 104 में किशनी देवी को शुद्धिकरण करते हुए बसनी देवी किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम भांवती के खाता संख्या 103, 104 से एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रार्थिया के पहचान के दस्तावेजों से जांच की गई। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता संख्या 103, 104 में प्रार्थिया का नाम किशनी पत्नि किशोर हिस्सा 1/6 किशनी पत्नि किशोर हिस्सा 1/10 तथा खाता संख्या 104 में किशनी पत्नि किशोर हि. 1/3 जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थिया के आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में प्रार्थिया का नाम बसनी देवी पत्नि रामकिशोर अंकित है। प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में किशनी पत्नि किशोर के बजाय बसनी पत्नि रामकिशोर करवाना चाहती है। अतः नाम शुद्धिकरण करना उचित है।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थिया का नाम किशनी सहवन से कारित होना प्रतीत होता है, जबकि प्रार्थिया का नाम बसनी है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्वयं प्रार्थिया की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि जांच करे कि प्रार्थिया किशनी व बसनी एक ही महिला है तो ग्राम भांवती के भूमि खाता संख्या नया 103 पुराना 101 एवं भूमि खाता संख्या नया 104 पुराना 102 की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थिया का सही नाम दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई तदअनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई